

25/6/19


वकुलाप फरीमेंत उपस्थित हैं। अनधिकृतता
अप्रपार्थी जनता का ऊबड़ा चाहते हैं।
पञ्जपत्नी 28/6/19 को जेश हो।



28/06/19

वकुलाप फरीमेंत उपस्थित हैं। वही का वाद
डिक्री हो चुका है। ऐसे में ऊबड़ास प्रा.फा
पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

ऊतः प्रा.फा प्राथी ऊतर्गत धारा 212
RT Act 1955 स्वार्जिज किया जाता है।
पञ्जपत्नी निर्णय में शुमार होना नम्बर से
कम हो तथा वाद तामील तंकीत दालिज
दफतर हो।


उपस्थित अधिकारी
मानपुर जिला इलाहाबाद
(राजस्थान)